क्रम संख्या तारीख	आदेश और पदाधिकारी हा हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

न्यायालय :– उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, गढ़वा।

L.C वाद सं0– 06/2015–16

जलाल खाँ उर्फ जलालुद्दीन खाँ– अपीलकर्ता

बनाम

अरवत खातुन– बिपक्षी

आदेश

अभिलेख उपस्थापित किया गया अभिलेख आवेदक जलाल खाँ उर्फ जलालुद्दीन खाँ ग्राम– भुसुवा, प्रखण्ड– मझिऑव के द्वारा निचे अंकित भूमि को लेकर Land Celling वाद दर्ज किया गया है।

ग्राम	खाता	प्लॉट	रकबा	चौहदी
तलसबरिया	42	236	0.26 ए0	उ0– सड़क द0– मेहदी खाँ वगै0 पू0– सहलद खाँ प0– जलाल खाँ
			कुल रकबा– 0.26 ए0	

अवेदक जलाल खाँ उर्फ जलालुद्दीन खाँ के द्वारा ग्राम– भुसुआ के खाता सं0– 42, प्लॉट सं0– 236, रकबा– 0.26 एकड़ भूमि को लेकर दिनांक– 16.07.2015 को आवेदन समर्पित कर बताया गया कि प्रस्तावित खाते एवं प्लॉट की भूमि जिसमें आवेदक चौहदीदार एवं Co-Sharer है। आवेदक के द्वारा दर्ज की गई वाद में दिनांक– 27.10.2016 को निबंधित डाक से नोटिस निर्गत करते हुए विपक्षीं को उपस्थित होने हेतु सूचित किया गया है परन्तु विपक्षी किसी भी तिथि को उपस्थित नही हुए। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा लिखित जवाब समर्पित करते हुए बताया गया की विपक्षी के द्वारा क्रय की गई भूमि के निबंधित केवाला में अंकित चौहदी में पश्चिम की ओर आवेदक जलाल खाँ उर्फ जलालुद्दीन खाँ का नाम अंकित है। आवेदक को प्रस्तावित भूमि की दक्षिण एवं चौहदी में पश्चिम प्रश्नगत प्लॉट में ही 15 डी0 भूमि है। निबंधित केवाला में भूमि क्रेता (विपक्षी) कही नही है इस प्रकार Land Celling Act के धारा 16 (3) के प्रावधान के अंतर्गत विहित प्रवाधानो के अनुरूप आवेदक के अग्रक्रय अधिकार का लाभ देते हुए तथा विपक्षी के द्वारा एक भी तारिख पर उपस्थित नही होने के कारण इस वाद में आवेदक के अग्रय क्रय आवेदन पत्र को स्वीकृत किया जाता है। तथा विपक्षी अरवत खातुन को आदेश दिया जाता है कि आदेश निर्गत होने की तिथि से एक माह के अंदर आवेदक को निबंधित केवाला करना सुनिश्चित करें।

लेखापित एवं संशोधित

18.6.18

उप समाहर्त्ता भूमि सुधार,
गढ़वा।

18.6.18

उप समाहर्त्ता भूमि सुधार,
गढ़वा।

Scanned with CamScanner